झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

::संकल्प::

विषय:- **मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ मुण्डारी एवं खूँटकट्टी भूमि के भू-धारी को उपलब्ध कराने के संबंध में।**

वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के वैसे सभी किसान, जिनके पास अधिकतम 5 एकड़ तक कृषि योग्य भूमि है, को कृषि कार्य हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-72 दिनांक-03.05.19 द्वारा दी गयी है। अबतक राज्य के वैसे किसान, जिनकी भूमि मुण्डारी एवं खूँटकट्टी भूमि के अन्तर्गत है, वे इस योजना से आच्छादित नहीं थे।

सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के वैसे किसान, जिनकी भूमि मुण्डारी एवं खूँटकट्टी भूमि के अन्तर्गत है, को भी अब इस योजना का लाभ दिया जायेगा।

ऐसे जमीन के मामलों में गांव के मुण्डा द्वारा वैसे कृषक, जो उक्त जमीन के भू-धारी होते हैं, से लगान की वसूली की जाती है, परंतु उक्त भू-धारी के नाम की प्रविष्टि रजिस्टर-2 में नहीं होने के कारण मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यदि किसी जिला द्वारा ऐसे भू-धारियों को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ दिया गया है तो उन्हें भी इस प्रक्रिया द्वारा नियमित किया जायेगा।

इस तरह की भूमि वाले क्षेत्रों में ग्राम सभा द्वारा विहित प्रपत्र में वैसे भू-धारियों, जिनके द्वारा गाँव के मुण्डा को लगान दिया जाता रहा है, वांछित सूचना प्राप्त कर तथा उन्हें अंचलाधिकारी द्वारा सत्यापित करते हुए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के पोर्टल पर प्रविष्टि की कार्रवाई की जायेगी।

उपर्युक्त के क्रम में मानक दिशा-निर्देश निम्नवत होगा :-

(i) संबंधित अंचल कार्यालय द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना हेतु मुण्डारी एवं खूँटकट्टी गांवों में ग्राम सभा की बैठक आहूत करना।

(ii) ग्राम सभा में संबंधित वैसे भू-धारियों, जिनके द्वारा गाँव के मुण्डा को लगान दिया जाता है, को अंचल कार्यालय द्वारा 04 Blank Form (A,B,C,D) दिये जायेंगे। छूट जाने की स्थिति में घर-घर जाकर उक्त चारो फॉर्म उपलब्ध कराया जायेगा। यदि किसी कारणवश भू-धारियों को उक्त फॉर्म नहीं मिल पाता है, तो वे सीधे अंचल कार्यालय से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।

Scanned by CamScanner

(iii) भरे हुए चारो फॉर्म (मुण्डा द्वारा दिये गये लगान की रसीद के साथ) मुण्डा/व्यक्तिगत तौर/अन्य स्त्रोत से संबंधित अंचल कार्यालय में जमा किया जायेगा।

(iv) ऑपरेटर द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के पोर्टल पर उनके Login ID के द्वारा Add/Edit option में जाकर हल्का और मौजा Select करते हुए, उक्त गांव के मुण्डा के Volume No. तथा Page No. की प्रविष्टि करेंगे। इसके बाद वे उक्त मुण्डा के भू-धारी का Serial No. भरेंगे फिर Search बटन दबायेंगे। Search बटन दबाते ही एक Blank Form खुलेगा, जिसमें भू-धारी से प्राप्त A,B,C,D Form के आधार पर विस्तृत सूचना की प्रविष्टि की जायेगी। इस Blank Form में एक अतिरिक्त विकल्प की आवश्यकता होगी, जिससे भू-धारी के प्रकार का निर्धारण हो सकेगा। इस विकल्प के Drop Down Option में सामान्य भू-धारी/मुण्डारी भू-धारी/वंशावली आधारित भू-धारी का विकल्प होगा।

(v) यदि किसी जिला द्वारा ऐसे भू-धारियों को, जिन्हें मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ दिया गया है, तो उसे भी उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुरूप नियमित किया जायेगा।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि संकल्प को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक/आगामी अंक में सर्वसाधारण के संसूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

4/10/19

(पूजा सिंघल)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ0रा0यो0-01/2019 2471 **/कृ0, रांची, दिनांक-** 04-10-19

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

4/10/19

सरकार के सचिव।

Scanned by CamScanner

ज्ञापांक-03/कृ0रा0यो0-01/2019 2471 **/कृ0, रांची, दिनांक-** 04-10-19

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्राणलय, झारखण्ड, रांची को झारखण्ड राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि मुद्रित राजपत्र की 20 प्रतियाँ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, रांची को उपलब्ध करायी जाय।

4/10/19

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ0रा0यो0-01/2019 2471 **/कृ0, रांची, दिनांक-** 04-10-19

प्रतिलिपि:- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

4/10/19

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ0रा0यो0-01/2019 2471 **/कृ0, रांची, दिनांक-** 04-10-19

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, झारखण्ड, रांची/विकास आयुक्त, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, रांची/प्रधान सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

4/10/19

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ0रा0यो0-01/2019 2471 **/कृ0, रांची, दिनांक-** 04-10-19

प्रतिलिपि:- विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/10/19

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ0रा0यो0-01/2019 2471 **/कृ0, रांची, दिनांक-** 04-10-19

प्रतिलिपि:- कृषि निदेशक/निदेशक भूमि संरक्षण/निदेशक उद्यान/निदेशक समेति/निदेशक पशुपालन/निदेशक मत्स्य/निदेशक गव्य विकास, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/10/19

सरकार के सचिव।

Scanned by CamScanner